

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

27/6/18

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018 अभियान के
अंतर्गत राजस्व लोक अदालत
आयोजित की गई है।
613 कायदा अंतर्गत राजस्व
लोक अदालत का आयोजन
राजस्व लोक अदालत
आयोजित की गई है।
राजस्व लोक अदालत
आयोजित की गई है।
राजस्व लोक अदालत
आयोजित की गई है।
राजस्व लोक अदालत
आयोजित की गई है।



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व लोक अदालत अभियान
के अंतर्गत राजस्व
अदालत के अंतर्गत
कामों को

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. धारव, B.A.S.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 जैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958
उपयान

कास 530/2018
निर्णय
- प्रार्थी / प्रार्थीगण

उपस्थित :-
- विपक्षी / विपक्षीगण

प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान न्यू-राजस्व अधिनियम, 1958 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थी / प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा / जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर

कुल किता। रकबा हैक्टयर का प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार कारतकार है। विपक्षी / विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जगावन्दी ग्राम संवत् 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा में स्थित प्रार्थी / प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी / संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता। रकबा हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा / मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। प्रार्थी फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। को सरे इजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि-तहसीलदार, शाहपुरा / पास भेजकर लेख है कि मुताबिक प्रार्थी पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

के. आर. धारव
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

के. आर. धारव
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)